नईदुनिया

एचएएल का चौथी-तिमाही में मुनाफा 52 प्रतिशत बढ़कर 4,308 करोड़ हुआ : आय में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कंपनी के शेयर ने एक साल में 195 प्रतिशत रिटर्न दिया

मुंबई।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में मुनाफा सालाना आधार पर 52 प्रतिशत बढ़कर 4,308 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,831 करोड़ रहा था। चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं।

एक साल में एचएएल ने 195 प्रतिशत रिटर्न दिया

रिजल्ट आने के बाद एचएएल का शेयर करीब 11 प्रतिशत बढ़कर 4,637.90 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इसने 195.98 प्रतिशत रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 3.08 लाख करोड़ रुपए है।

आय में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी

एचएएल के ऑपरेशन से कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू यानी आय में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एफवाय24 की चौथी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 14,768 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही यानी एफवाय23 की चौथी तिमाही में रेवेन्यू 12,494 करोड़ रहा था।

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 30 प्रतिशत बढ़ा

एचएएल का पूरे वित्त वर्ष 2024 में कंसॉलिडेटेड मुनाफा 30.77 प्रतिशत बढ़कर 7620 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा 5827 करोड़ रहा था।

वित्त वर्ष 2024 में रेवेन्यू 30,380 करोड़ रहा

वहीं एचएएल का वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेशन से कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 30,380 करोड़ पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू 26,927 करोड़ रहा था। यानी रेवेन्यू में 12.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। क्या होता है स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड कंपनियों के रिजल्ट दो भागों में आते हैं- स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड। स्टैंडअलोन में केवल एक यूनिट का वित्तीय प्रदर्शन दिखाया जाता है। जबकि, कंसॉलिडेटेड या समेकित फाइनेंशियल रिपोर्ट में पूरी कंपनी की रिपोर्ट दी जाती है।

यहां, एचएएल की 2 सब्सिडियरी और 12 जॉइंट वेंचर हैं। इन सभी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को मिलाकर कॉन्सोलिडेटेड कहा जाएगा। वहीं, एचएएल के अलग रिजल्ट को स्टैंडअलोन कहा जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में फोनपे को मिली जीत

नई दिल्ली। फोनपे ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेसर्स अनिकेत फूड्स के खिलाफ फोनपे के पक्ष में आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल, 2024 को फोनपे के पक्ष में आदेश जारी करते हुए मेसर्स अनिकेत फूड्स (इसके एजेंटों, उत्तराधिकारियों, स्टॉकिस्टों, वितरकों, डीलरों या इसके माध्यम से या इसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति) को माल विनिर्माण और बिक्री के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया था। न्यायालय ने अनिकेत फूड्स के परिसर का दौरा करने और ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर बनाए गए सामानों व उपलब्ध स्टॉक की जानकारी लेने के लिए एक विशेष अधिकारी को भी नियुक्त किया। उक्त विशेष अधिकारी ने 19 अप्रैल को परिसर को दौरा किया और बड़ी मात्रा में फोनपे ट्रेडमार्क उल्लंघन वाले उत्पाद/सामग्री पाई। इसके बाद, मेसर्स अनिकेत फूड्स ने न्यायालय के बाहर समझौते के लिए फोनपे से संपर्क किया और उसके अधिकारों को स्वीकार किया व अपनी अवैध व उल्लंघनकारी गतिविधियों को रोकने की बात कही। समझौते के तहत मेसर्स अनिकेत फूड्स ने बिना शर्त स्वीकार किया कि, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सामान्य कानून सहित सभी उचित कानूनों के तहत फोनपे उक्त ट्रेडमार्क फोनपे का सच्चा और वैध मालिक है, और उक्त ट्रेडमार्क विशेष रूप से फोनपे से संबद्ध है। फोनपे के ट्रेडमार्क फोनपे, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और नियमों के प्रावधानों के तहत अत्यधिक प्रतिष्ठित, विशिष्ट और प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और यह बिना किसी समय सीमा के पूरी तरह से, बिना शर्त और स्थायी रूप से फोन से संबंधित है। फोनपे उक्त ट्रेडमार्क का पूर्व उपयोगकर्ता है और फोनपे चिह्न फ़ोन और पी शब्दों का अद्वितीय संयोजन है। अनिकेत फूड्स कभी भी, किसी भी सामान या सेवाओं के लिए किसी भी कानून के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ट्रेडमार्क फोनपे में किसी भी मालिकाना अधिकार, ट्रेडमार्क अधिकार, सामान्य कानून अधिकार, या कॉपीराइट का उपयोग और दावा नहीं करेगा और/या उक्त ट्रेडमार्क के समान और/या भ्रामक रूप से किसी भी चिह्न/नाम पर दावा नहीं करेगा।

सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति हमारे पास नहीं, अदालत ने खारिज की एमएमटीसी की अपील

नई दिल्ली। मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) को एक विशेष अदालत से झटका लगा है। विशेष अदालत ने एमएमटीसी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में 2009 में बढ़ी हुई दरों पर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से कोयले के आयात में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। विशेष अदालत ने एमएमटीसी की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। बता दें कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की थी। जिसकी अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रारंभिक जांच दर्ज करके जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी का पहला कदम है कि क्या प्रथम दृष्टया आरोपों में एफआईआर या नियमित मामले के माध्यम से पूर्ण जांच की आवश्यकता के लिए पर्याप्त सामग्री है।

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने तीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया केस 69 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने 69 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैंक ने प्राथमिकी में धन के गबन के लिए तीन अधिकारियों दोरजी शेरिंग लेप्चा, महाप्रबंधक (संचालन), त्सेवांग दोरजी लेप्चा, सहायक प्रबंधक (आईटी) और तिलक राय, वरिष्ठ लेखा सहायक पर आरोप लगाए हैं। 14 मई को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि तीनों अधिकारियों ने सरकारी अधिकारियों के नाम पर विभिन्न सावधि जमा खाते खोले और शेष बैंक धन को विभिन्न चल व अचल संपत्तियों में निवेश किया। बैंक ने सीआईडी से चल (बैंक खातों, एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड) और अचल संपत्तियों सहित सभी संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करने का अनुरोध किया है जो उनके व्यक्तिगत नाम के साथ-साथ उनके परिवार के निकटतम सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम सिक्किम सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। सीआईडी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और वे मामले की जांच कर रहे हैं।

अब नेपाल में एमडीएच -एवरेस्ट मसालों पर बैन लगा : कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू की, अप्रैल में सिंगापुर-हॉन्गकॉन्ग ने किया था बैन

नई दिल्ली।

सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के दो मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर रोक लगा दी है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महारजन ने कहा, नेपाल में आयात किए जा रहे एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसालों में हानिकारक केमिकल के अंश पाए जाने की खबर आने के बाद एक हफ्ते पहले आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था और हमने मार्केट में भी इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दो ब्रांड्स के मसालों में केमिकल के लिए जांच चल रही है। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

अप्रैल में सिंगापुर-हॉन्गकॉन्ग ने एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों पर लगाया था बैन - इससे पहले अप्रैल महीने में सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग ने एमडीएच और एवरेस्ट दोनों कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट से ज्यादा मात्रा होने के कारण उन्हें बैन किया था। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। हॉन्गकॉन्ग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा था कि एमडीएच ग्रुप के तीन मसाला मिक्स- मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड पाया गया है।

भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट बेहद कम- वाणिज्य मंत्रालय - 15 मई को वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट बेहद कम है। वहीं, निर्यात सैंपल की विफलता भी कम है। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था,हमारी ओर से प्रमुख देशों को निर्यात किए गए मसालों की कुल मात्रा के मुकाबले अस्वीकृति दर 1 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय रिकॉल और अस्वीकृति आंकड़ों पर नजर रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा था कि वित्त वर्ष 24 में भारत ने लगभग 14.15 मिलियन टन मसालों का निर्यात किया, जिसमें से केवल 200 किलोग्राम के मसाले की एक छोटी मात्रा को ही वापस मंगाया गया।

एक सैंपल का प्रभावित होना कोई बड़ी बात नहीं - वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया था कि भारतीय निर्यात के लिए सैंपल फेलियर 0.1 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है, जबकि अन्य देशों से आने वाले मसाले का सैंपल फेलियर 0.73 प्रतिशत है। उन्होंने कहा था कि एक सैंपल का प्रभावित होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत कई बार कई देशों के सैंपल को खारिज भी कर देता है।

भारत ने सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग से डीटेल्स मांगी थी - 24 दिन पहले एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग के फुड रेगुलेटर्स यानी खाद्य नियामक से डीटेल्स मांगी हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डीटेल्ड रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया था। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डीटेल्स मांगी थी।

मसालों में तय मानकों से कम कीटनाशक की अनुमति - 6 मई को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय फूड कंट्रोलर जड़ी-बूटियों और मसालों में तय मानक से 10 गुना ज्यादा कीटनाशक मिलाने की अनुमति देता है। एफएसएसएआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि इस तरह की सभी खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। भारत में मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल यानी कीटनाशक मिलाने की लिमिट दुनियाभर में सबसे कड़े मानकों में से एक है। कीटनाशकों के एमआरएल उनके रिस्क के आकलन के आधार पर अलग-अलग फूड मटेरियल के लिए अलग-अलग तय किए जाते हैं।

कुछ कीटनाशकों के लिए बढ़ाई थी लिमिट - हालांकि एफएसएसएआई ने माना था कि कुछ कीटनाशक, जो भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी से रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए यह लिमिट 0.01 एमजी/ केजी से 10 गुना बढ़ाकर 0.1 एमजी/ केजी की गई थी। यह वैज्ञानिक पैनल के रिकमेंडेशन पर ही किया गया था। सीआईबी एन आरसी कीटनाशकों की मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज आदि को रेगुलेट करते हैं।

मिर्च पाउडर में माइक्लोबुटानिल की सीमा 2 एमजी/ केजी - मिर्च पाउडर में मिलाए जाने वाले माइक्लोबुटानिल के लिए कोडेक्स ने 20 एमजी/ केजी की लिमिट तय की है। जबकि एफएसएसएआई इसे केवल 2 एमजी/ केजी तक मिलाने की परमिशन देता है। एक अन्य पेस्टिसाइड स्पाइरोमेसिफेन के लिए कोडेक्स ने 5 एमजी/ केजी की लिमिट तय की है, एफएसएसएआई इसके लिए 1 एमजी/ केजी तक की ही अनुमति देता है। काली मिर्च के लिए मेटालैक्सिल और मेटालैक्सिल-रू के यूज के लिए कोडेक्स ने 2एमजी/ केजी की लिमिट तय की है। जबकि एफएसएसएआई इसे केवल 0.5एमजी/ केजी तक मिलाने की अनुमति देता है।

सीआईबी और आरसी के पास 295 से ज्यादा कीटनाशक रजिस्टर्ड - भारत में सीआईबी और आरसी के पास 295 से ज्यादा कीटनाशक रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 139 कीटनाशकों का इस्तेमाल मसालों में किया जा सकता है, जबकि कोडेक्स ने टोटल 243 कीटनाशकों को एडॉप्ट किया है, इनमें 75 को मसालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोडेक्स कंज्यूमर हेल्थ की रक्षा करने और फूड बिजनेस पर नजर रखने वाली एक ग्लोबल संस्था है। यह इंटरनेशनल सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच खाद्य मानकों को तय और लागू करने की अनुमति देती है।

मसाले में क्यों करते हैं कीटनाशकों का इस्तेमाल - मसाला बनाने वाली कंपनियां एथिलीन ऑक्साइड सहित अन्य कीटनाशकों का उपयोग ई. कोली और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और फंगस से फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए करती हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से मसालों की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी हो सकती है।

एयर इंडिया पर निजीकरण के बाद नहीं बनता मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली।

जनवरी 2022 में टाटा समूह की ओर से अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसके साधन के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है और ऐसे में मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन का कोई मामला इसके खिलाफ नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया। इनमें एआईएल के कुछ कर्मचारियों द्वारा वेतन में कथित ठहराव और कर्मचारियों की पदोन्नति न होने और संशोधित वेतन के बकाया भुगतान में देरी से जुड़ी चार रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के उल्लंघन का दावा किया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एआईएल के निजीकरण के कारण रिट याचिकाओं की गैरविचारणीयता के आधार पर याचिकाओं का निपटारा किया था। फैसले में कहा गया है कि इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि भारत सरकार ने अपना 100 प्रतिशत हिस्सा टैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है और अब एक निजी कंपनी के रूप में उस पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह गया है। अदालत ने कहा कि इसलिए निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद कंपनी को अब राज्य के स्वामित्व वाला नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, इस प्रकार, निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी नंबर 3 (एआईएल) अपने विनिवेश के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य या इसकी साधन नहीं रह गई। पीठ ने कहा कि यदि एआईएल को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है।

सोने और चांदी के भाव में गिरावट, सोना 72,900, चांदी लगभग 87,100 रुपए

नई दिल्ली।

देश के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। चांदी के वायदा भाव सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन इसमें गिरावट देखी जा रही है। सुबह शुरुआत में सोने के वायदा भाव 72,900 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 87,100 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वैश्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में सुस्ती देखने को मिल रही है।

सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क जून कॉन्ट्रेक्ट 73 रुपये की गिरावट के साथ 72,907 रुपये के भाव पर खुलने के बाद 99 रुपये की गिरावट के साथ 72,881 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरूआत भी आज सुस्त रही।

एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क जुलाई कॉन्ट्रेक्ट 190 रुपये की गिरावट के साथ 87,110 रुपये पर खुलने के बाद 200 रुपये की गिरावट के साथ 87,100 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,381.39 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,385.50 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 5.40 डॉलर की गिरावट के साथ 2,380.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.82 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 29.87 डॉलर था। इस समय यह 0.11 डॉलर की गिरावट के साथ 29.76 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

एआई के कारण लोग मानवीय संबंधों के लिए तरसेंगे

नई दिल्ली।

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि एआई के कारण 5-10 वर्षों में लोग मानवीय संबंधों के लिए तरस जाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है कि एआई में वृद्धि से लोग मानवीय संबंध के लिए तरस जाएंगे और कला क्षेत्र में नौकरियों की मांग बहुत अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहने का मतलब था कि आने वाले समय में एआई का विकसित रूप मनुष्यों को एक मनुष्य के रूप में ही सेवाएं देने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में लोग मानवीय संबंधों के लिए तरस सकते हैं।

ऑल्टमैन ने ये बातें द लोगान बार्टलेट शो के दौरान उन नौकरियों के बारे में पूछे जाने पर कहीं जो एआई के कारण अगले पांच वर्षों में मुख्यधारा में आ सकती हैं। 2022 में जब चैटजीपीटी लॉन्च किया गया था, तो लोगों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। एआई चैटबॉट उन चीजों को करने में सक्षम था, जिन्हें माना जाता था कि पहले मनुष्य ही कर सकते हैं।

जल्द ही, कई लोगों को डर लगने लगा कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी इस पर मुहर लगाई। जहां बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों का मानना है कि एआई मनुष्यों के लिए खतरा है, वहीं कई जानकारों का रवैया आशावादी है और वे मानते हैं कि इससे नई नौकरियों का सृजन होगा।

पॉडकास्ट के दौरान नौकरियों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ऑल्टमैन ने कहा, एआई के इस्तेमाल से नए प्रकार की कलाओं की व्यापक श्रेणी विकसित होगी, जो मानवीय संबंधों के अनुसार ही काम करेगी। मुझे फिलहाल नहीं पता कि इन नौकरियों का क्या नाम होगा, मुझे नहीं पता कि हम 5 साल में वहां पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्यों के लिए यह एक शानदार अनुभव होगा।

हाल ही में, ओपनएआई के सीईओ ने एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी के हालिया एलएलएम, जीपीटी 4श की प्रशंसा की थी। ओपनएआई के स्प्रिंग अपडेट इवेंट के दौरान इस एआई टूल का अनावरण किया गया था। यह वर्तमान चैटजीपीटी का एक स्मार्ट संस्करण है।

भारत के उपभोक्ता बाजार का आकार 2031 तक दोगुना हो सकता है, वित्त मंत्री ने जताया अनुमान

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री ने दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अनुमान जताया कि भारतीय उपभोक्ता बाजार का आकार 2031 तक दोगुना हो सकता है। इसके अलावे, भारत पांच वर्षों में वैश्विक विकास में 18 प्रतिशत तक का योगदान दे सकता है। इस दौरान वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने सीआईआई कार्यक्रम के दौरान कहा कि कई लोगों का सुझाव है कि भारत के पास सेवाओं में एक बड़ा अवसर है, लेकिन हम विनिर्माण को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसे अधिक निवेश और सरकारी नीतियों की मदद से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सीतारमण ने कहा, '' मैं कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई इस सलाह के विपरीत कुछ रेखांकित करना चाहती हूं

कि भारत को अब विनिर्माण पर ध्यान नहीं देना चाहिए या विनिर्माण में तेजी नहीं लानी चाहिए... । मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहती हूं कि विनिर्माण में वृद्धि होनी चाहिए। भारत को नीतियों की मदद से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी (विनिर्माण) हिस्सेदारी भी बढ़ानी चाहिए।'' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कुछ अर्थशास्त्रियों ने राय व्यक्त की है कि भारत को विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि उसने वह अवसर गंवा दिया है। उनका कहना है कि चीन के विनिर्माण-आधारित वृद्धि मॉडल को अब और दोहराया नहीं जा सकता। हालांकि, सीतारमण ने कहा कि विनिर्माण के विस्तार से भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उम्मीद जतायी कि भारत के पास अब भी अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का अवसर है क्योंकि दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद 'चीन प्लस वन' रणनीति पर ध्यान दे रही है। 'कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट' की मई में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निवेश स्थलों की सूची में भारत शीर्ष पर है, जो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी विनिर्माण क्षमता का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। सर्वेक्षण में शामिल करीब 760 अधिकारियों में से 65 प्रतिशत ने कहा कि वे भारत में उल्लेखनीय रूप से निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, '' यह अपने आप में हमारे भारतीय उद्योग को काफी बड़ा दायरा प्रदान करता है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017